आंधी से टकराए बिजली के तार, 10 बीघा खेत में गेहूं की फसल जली

शेखसर गांव में आये आंधी-तूफान के दौरान कटा हुआ गेहूं हवा में उड़कर बिजली के तारों से टकराया, जिससे चिंगारी निकली और आग भड़क गई

- घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है, उनका कहना है कि यदि समय रहते ढीले तारों को ठीक किया जाता तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था
- घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी को मौके पर जाकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की

बीकानेर, (निसं)। जिले के कालू कस्बे के पास स्थित शेखसर गांव आई आंधी से एक खेत में भीषण आग लग गई। खेत में रखी दो किसानों की करीब 10 बीघा खेत में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हादसा जिले के कालू कस्बे के पास स्थित शेखसर गांव का है। ग्रामीणों व किसानों ने घटना को लेकर बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है।

बताया जा रहा है कि आंधी की वजह से बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे आग फैल गई। इस हादसे में राजेंद्र कुमार पुत्र अर्जुन राम धतरवाल और भगवाना राम पुत्र कानाराम धतरवाल के खेतों में लगी इस आग से दोनों किसानों की करीब 5-5 बीघा फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। आग लगते ही किसानों ने ट्यूबवेल चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और काफी फसल जल गई।

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि 132 जीएसएस से कपूरीसर जाने वाली बिजली लाइन के तार ढीले थे। आंधी-तूफान के दौरान कटा हुआ गेहूं हवा में उड़कर इन तारों से टकराया, जिससे चिंगारी निकली और आग भड़क गई।

घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ढीले तारों को ठीक किया जाता तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार विनोद पूनिया ने हल्का पटवारी पार्वती को मौके पर जाकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इधर, प्रभावित किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो सके।

पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

अकलेरा पुलिस टीम पर आरोपी को पकड़ने के दौरान वाहन चढ़ाकर किये गये हमले के प्रयास का मामला

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम् पुलिस टीम ने अकलेरा पुलिस टीम पर आरोपी को पकड़ने के दौरान वाहन चढ़ाकर किये गये जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 21 मार्च को थाना अकलेरा के थानाधिकारी धर्माराम मय जाप्ता व डीएसटी टीम के साथ फरार वांछित आरोपी देवीकृपाल उर्फ डेविड व कोमल मीणा की तलाश के लिये टीम कोटा आई। पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी डेविड अपने साथी के साथ कार से कोटा में श्रीनाथपुरम् तिराहे की ओर जा रहा है, सूचना पर पुलिस टीम ने पीछा कर श्रीनाथपुरम् तिराहे के पास वाहन को रूकने का इशारा किया तो आरोपियों ने वाहन को भगाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी डेविड ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया तथा पुलिस के प्राईवेट वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही एक अन्य राहगीर के वाहन को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में आरकेपुरम् थानाधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दो आरोपी श्रीनाथपुरम् निवासी कोमल मीणा (26) एवं बानोर निवासी पवन दांगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी पवन दांगी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया एवं आरोपी कोमल मीणा को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, मामले में पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

बूंदी में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या की

- हत्या के बाद आरोपी रातभर शव के पास ही बैठा रहा, सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

बूंदी, (निसं)। सदर थानान्तर्गत रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले एक युवक ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि रात भर शव के पास बैठा रहा। सुबह हत्या का पता चलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और आरोपी युवक को हिरासत में लिया।

जानकारी के अनुसार काजू रात को शराब पीकर घर आया था और किसी बात को लेकर उसका पत्नी रूबी (32) से विवाद हो गया। इस पर काजू ने रूबी को इतना बेहरमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। घटना का पता सुबह यहीं झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले लोगों को चला तो दहशत फैल गई। हत्या की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी भिजवाया। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति काजू को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि मृतका के शरीर पर मारपीट के निशान है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पंजाब से शादी में आए दो बच्चों पर श्वान ने हमला किया

- कुत्ते ने बच्चों को कई जगह से काटा, आस-पास के लोगों ने कुत्ते को भगाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। आवारा कुत्ते (श्वान) के हमले से दो मासूम बच्चे घायल हो गए। बच्चे अपने परिवार के साथ पंजाब से यहां शादी समारोह में आए हुए थे। घटना श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर के वार्ड नं-18 की है।

जानकारी अनुसार पदमपुर के वार्ड नंबर-18 में स्थित धानका समाज धर्मशाला में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। शादी में एक परिवार अपने बच्चों के साथ आया हुआ था। इस दौरान धर्मशाला के बाहर खेल रहे दोनों बच्चों पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चों को कई जगह से काट लिया। जिसके बाद आस-पास के लोगों ने कुत्ते को भगाया। घटना के बाद परिजन तुरंत दोनों बच्चों को पदमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है।

पंजाब से भागे बदमाश को श्रीगंगानगर में पकड़ा

- पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, हत्या और फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था

श्रीगंगानगर, (निसं)। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग जगह से अवैध पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों मामलों में आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस थाना जवाहरनगर ने सीओ सिटी विशाल जांगिड के सुपरविजन और थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान तीन पुली लिंक रोड पुलिया के पास कार्रवाई के दौरान 14 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल व 2 मैगजीन बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान गुरविन्द्र सिंह (40) निवासी श्यामा खानका, थाना अरणियांवाला फाजिल्का (पंजाब) के रूप में हुई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि गुरविन्द्र सिंह पंजाब के थाना फाजिल्का सदर में हत्या के प्रयास और फायरिंग के मामले में फरार था। गंगानगर आने की सूचना पर उसे पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ पंजाब के कई थानों में हत्या के प्रयास, अपहरण, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 17 मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

मटीलीराठान थाना पुलिस ने थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की। पुलिस टीम ने बस स्टैंड से गुरजन्ट सिंह उर्फ जन्टा (25) निवासी ढाणी 1 एल, मटीलीराठान को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1 अवैध पिस्टल, मैगजीन और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है।

झुंझुनूं के बुडाना गांव में बेटी की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली

बुडाना गांव में पिंकी कुमावत की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली।

झुंझुनूं, (निसं)। झुंझुनूं जिले के बुडाना गांव में बुधवार रात परंपराओं से हटकर दूल्हे की जगह दुल्हन घोड़ी पर सवार नजर आई। यह अनोखी पहल समाज में बेटा-बेटी की समानता का सशक्त संदेश दे गई। बुडाना निवासी बसेशर कुमावत ने अपनी बेटी पिंकी कुमावत की शादी से पहले बिंदोरी निकालते हुए पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया।

उन्होंने बेटों की तरह ही बेटी को घोड़ी पर बैठाया। साफा पहनाया और दूल्हे की वेशभूषा में सजाकर पूरे गांव में बिंदोरी निकाली। जैसे ही सजी-धजी बणी-ठणी पिंकी कुमावत घोड़ी पर सवार होकर निकली, हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक उठी। बिंदोरी के दौरान डीजे की धुन पर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर नृत्य किया और इस अनोखी पहल का स्वागत किया। पिंकी के पिता बसेशर कुमावत ने कहा कि बेटा एक घर को संवारता है। जबकि बेटियां दो-दो घरों को संवारती हैं। उन्होंने समाज से अपील की कि बेटियों को भी बराबरी का दर्जा दिया जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पिंकी के भाई जयप्रकाश कुमावत और अनिल कुमावत का कहना है कि राजस्थान जैसे राज्य में, जहां लिंगानुपात की चुनौती लंबे समय से बनी हुई है। ऐसी पहलें सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ जब तक समाज स्तर पर बेटा-बेटी में भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है। बुडाना गांव की यह बिंदौरी अब एक मिसाल बन गई है। जो यह साबित करती है कि बदलाव की शुरुआत समाज के भीतर से ही होती है। इस अवसर पर झिंडूराम, जुगलाल, विश्वंभरलाल, किशनलाल, बाबूलाल, सरदाराम, प्यारेलाल, राधेश्याम, प्रमोद कुमार, अमित, सूरज, विक्रम, मनीषा, सीमा, कोमल, सिमरन, ममता, नंदू, अनूपूर्णा एवं सोना सहित अन्य परिजन मौजूद रहे।

करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा

- 13 बदमाश गिरफ्तार, दो नाबालिग डिटेन, फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस (लड़कियां उपलब्ध कराने) के नाम पर ठगी करते थे

डूंगरपुर, (निसं)। जिले में पुलिस ने सायबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ऑपरेशन सायबर हंट 2.0 के तहत दोवड़ा थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27 मोबाइल फोन और 38 फर्जी सिमकार्ड भी जब्त किए हैं।

दोवड़ा थाना पुलिस के अनुसार लीलवासा गांव के पास एक सुनसान खंडहर में कुछ युवकों द्वारा सायबर ठगी की गतिविधियों को अंजाम देने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर जिला सायबर सेल और दोवड़ा थाने की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। वहां नीम के पेड़ की छांव में करीब 14-15 युवक मोबाइल फोन चलाते हुए पाए गए। पुलिस टीम ने घेरा डालकर सभी को पकड़ लिया।

जांच के दौरान उनके मोबाइल फोन में सोशल मीडिया ऐप और खातों की जानकारी खंगालने पर पता चला कि ये युवक फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर के विभिन्न राज्यों के लोगों को लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भेजकर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से लीलवासा निवासी लाल सिंह, बडलिया-बनकोडा निवासी प्रवीण पाटीदार,जसपुर जापका निवासी नयनेश पाटीदार, माल निवासी जितेन्द्र सिंह, रायणा निवासी नितेश पाटीदार, गलियाणा निवासी नरेश पाटीदार, डोली निवासी भूरालाल पाटीदार, रायना निवासी महेश पाटीदार, डोली निवासी देवजी पाटीदार, रायना निवासी मुकेश पाटीदार, डोली निवासी गजेन्द्र पाटीदार, पचलासा बड़ा निवासी दिनेश पाटीदार और डोली निवासी प्रवीण पाटीदार को गिरफ्तार किया। इनके अलावा दो बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये ठग लोकेंटो, ओक्ल्युट, स्डुको जैसी वेबसाइटों पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस (लड़कियां उपलब्ध कराने) के विज्ञापन डालते थे। विज्ञापनों पर दिए गए नंबरों के जरिए ये लोगों को वाट्सऐप, टेलीग्राम और इन्स्टाग्राम पर जोड़ते थे। इंटरनेट से डाउनलोड की गई अश्लील तस्वीरें भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे। वहीं फोटो सिलेक्शन के बाद एडवांस अमाउंट और अन्य शुल्कों के नाम पर फर्जी बैंक खातों में पैसे डलवाते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने देशभर में कई लोगों के साथ ठगी करना स्वीकार किया है।

राशन डीलर पर गेहूं गबन का आरोप

जोधपुर, (कासं)। शेरगढ़ थानान्तर्गत हनवंत नगर में सरकारी राशन के गेहूं में गबन का मामला सामने आया है। एक राशन डीलर पर 312 क्विंटल दो किलो गेहूं के गबन का आरोप है। इस संबंध में शेरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

थाना अधिकारी बुधाराम ने बताया कि जिला रसद कार्यालय जोधपुर द्वितीय के प्रवर्तन अधिकारी वीरमदान पुत्र हुकुमदान चारण ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। हनवंतनगर निवासी को विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकान के लिए अधिकृत किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि 7 मार्च 2024 तक की राशन वितरण अवधि में 312 क्विंटल 2 किलो गेहूं स्टॉक में कम पाया गया। इस अनियमितता के बाद विभाग ने डीलरशिप को निलंबित कर दिया। राशन दुकान का कार्यभार निकटवर्ती डीलर नग सिंह को सौंपा गया। स्टॉक सुपुर्दगी की प्रक्रिया के दौरान, डीलर जसवंत सिंह ने 312 क्विंटल 2 किलो गेहूं नए डीलर को सुपुर्द नहीं किया। इससे गेहूं के गबन की पुष्टि हुई। इसके बाद, विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शेरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया।

शिकायत की जांच के लिए आज गंगापुर पहुंचेगी टीम

गंगापुर सिटी। क्षेत्रीय निदेशक कॉलेज शिक्षा भरतपुर संभाग के नेतृत्व में जांच दल 27 मार्च को राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी के कार्यवाहक प्राचार्य प्रो.बनवारी लाल मैनावत के विरुद्ध शिकायत की जांच के लिए राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी आएगा। यह शिकायत राजकीय महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर एवं वर्तमान में प्राचार्य पद के विरुद्ध कार्य व्यस्था पर कार्यरत राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर के नोडल अधिकारी डॉ. रमेश बैरवा ने नवंबर माह में आयुक्त कॉलेज शिक्षा,अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं पुलिस अधिकारियों को दी थी। पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था।

शिकायत में प्रो. बैरवा ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य प्रो.सुमित्रा मीणा के 17.11.2025 के एपीओ हो जाने के उपरांत महाविद्यालय का चार्ज इन्हें दिया गया था, लेकिन आयुक्तालय ने चार्ज इनसे छीन कर 3 साल जूनियर डॉ. मैनावत को दे दिया था जोकि नियम विरुद्ध था। डॉ. मैनावत संस्कृत सह आचार्य रामकेश मीणा एवं राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य धर्मवीर मीणा को साथ में लेकर 20 नवंबर की देर रात्रि पीजी कॉलेज में जबरन घुस गए। प्राचार्य कक्ष खुलवाकर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की, चोरी की एवं जला भी दिए। जबकि महाविद्यालय का चार्ज प्रो.रमेश बैरवा के पास था।

शिकायत में यह भी लिखा है कि नियमों की अनदेखी करते हुए प्राचार्य पद पर प्रो.रमेश बैरवा को चयन से वंचित कर दिया था। इनके निलंबन काल की अवधि का निर्वाह भत्ता आज तक नहीं दिया गया है जोकि मौलिक अधिकार का हनन है। विभाग इनके साथ लगातार भेदभाव करता रहा है जिससे इनको भारी आर्थिक एवं मानसिक हानि होती रही है। शिकायत का कड़ा संज्ञान लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आयुक्त कॉलेज शिक्षा को कड़ा नोटिस दिया था।

कथित चमत्कारी कछुआ के नाम पर 12 लाख रु. ठगे

रूपनगढ़, (निसं)। ठगों द्वारा एक कछुए को चमत्कारी बताते हुए उसे एक करोड़ रुपए की कीमत का बताकर 20 लाख रुपए में बेचने का सौदा करने तथा 12 लाख रुपए ठग लिए जाने का मामला दर्ज हुआ है।

थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि परिवादी रसीद पुत्र समदा मेहरात निवासी कानाखेड़ पिपलाज जिला ब्यावर ने रूपनगढ़ थाने में अपने साथ ठगी होने का मुकदमा दर्ज कराया। इसके अनुसार उसके पास गत दिनों सलीम पुत्र शौकीन निवासी गुवाड़िया आया और कहा कि उसके जानकार के पास एक ऐसा कछुआ है जो चमत्कारी है और उसकी कीमत एक करोड़ रुपए है, जिसे वह अभी 20 लाख रुपए में बेच सकता है। अपन 20 लाख में खरीद कर एक करोड़ में बेच देंगे। रशीद मेहरात लालच में आ गया और भगवान सिंह पुत्र छोटू सिंह तथा मानसिंह पुत्र नारायण सिंह आदि से राशि एकत्रित करते हैं। कछुए को खरीदने का विचार किया ताकि 20 लाख में लेकर एक करोड़ में वापिस बेच सके। रशीद के पास जब बारह लाख रुपए एकत्रित हो गए तो ठगों में उसे रूपनगढ़ बुलाया और चमत्कारी कछुआ बेचने की बात की। रसीद ने कहा कि उसके पास 12 लाख रुपए हैं तो ठगों ने उससे वह राशि ले ली और बिना गिने ही अपने पास रख ली। परिवादी रसीद का कहना है कि उसे फोन करने वालों के मात्र नाम और उनके मोबाइल फोन नंबर है। इसके अलावा रसीद को ठगों का कोई पता, जाति, पिता का नाम आदि कुछ भी नहीं पता है। अपने साथ ठगी होने का एहसास उसे तब हुआ जब ठग पैसे लेकर चले गए और उसे चमत्कारी कछुए की जगह कुछ अन्य बेकार सामान पकड़ा गए, जिसका पता उसे ठगों के जाने के बाद चला। वह रूपनगढ़ पुलिस थाने आया और अपने साथ ठगी होने की जानकारी पुलिस को दी। जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान आरंभ कर दिया है।

दो घरों में लाखों की नगदी व आभूषण चोरी

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट के जिला पूर्व में दो घरों में चोर सैंधमारी कर लाखों की नगदी के साथ आभूषण चोरी कर ले गए। संबंधित थाने में चोरी के प्रकरण दर्ज कराए गए।

बनाड़ पुलिस ने बताया कि मूलतः गोटन के नोखा चांदावता हाल जाजीवाल कुतड़ी भोपालगढ़ रोड निवासी भंवराराम पुत्र सुखाराम जाट ने रिपोर्ट दी। बताया कि उसका परिवार दिन में खेत पर काम के लिए गया था। शाम को वापिस लौटा तो घर के ताले टूटे मिले। चोर दिनदहाड़े घर से नगदी और जेवरात चोरी कर ले गए। दूसरी तरफ करवड़ के रलावास निवासी कानाराम पुत्र चेतनराम ने रिपोर्ट दी कि उसका घर 23-25 मार्च के बीच सूना था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। 25 को लौटे तो घर के ताले टूटे मिले। अज्ञात चोरों ने घर से 2.10 लाख की नगदी के साथ जेवर और घरेलु सामान चोरी कर ले गए।

अविलम्ब ड्यूटी ज्वॉइन करवाने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के हाईकोर्ट के आदेश

- हाइकोर्ट ने रिट याचिका की सुनवाई करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश दिए
- सरकार द्वारा वर्ष 2010 में सहायक प्रोफ़ेसर, पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी का एक पद सृजित किया गया था
- यह राज्य की राजधानी स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के अधीन स्वीकृत किया गया, जो आज दिन तक रिक्त पड़ा है

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक प्रोफेसर, पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी पद पर अविलम्ब ड्यूटी ज्वॉइन करवाने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने देने के हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए। पिछले 15 वर्षों से राजधानी जयपुर में बच्चों के सबसे बड़े राजकीय जेके लोन अस्पताल (सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर) में पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट नियुक्त नहीं है। बच्चों की आंतों की बीमारी का इलाज़ चल रहा है लिवर के डॉक्टर पीडियाट्रिक हेपेटॉलजिस्ट के भरोसे चल रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। हाइकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए दिये अहम अंतरिम आदेश दिए।

याचिकाकर्ता डॉ. लक्ष्मण सिंह चारण की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रिट याचिका दायर कर बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010 में सहायक प्रोफ़ेसर, पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी का एक पद सृजित किया गया था, जो राज्य की राजधानी स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के अधीन स्वीकृत किया गया, जो आज दिन तक रिक्त पड़ा है और वर्तमान में एनएमसी/एनएमसी नई दिल्ली द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के दृष्टिगत चिकित्सक शिक्षको /फैकल्टीज की कर्मीपूर्ति दिखाने के लिहाज़ से राज्य सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजो में रिक्त पड़े सहायक प्रोफ़ेसर पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश 27 अप्रैल 2025 जारी किए गए। उसी अनुरूप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफ़ेसर (सुपर स्पेशियलिटी) के रिक्त 27 पदों को यूटीबी आधार पर भरने के लिए विज्ञिप्त 13 नवंबर 2025 जारी की गई। याचिकाकर्ता ने सहायक प्रोफ़ेसर, पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी के एकल विज्ञापित पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। साक्षात्कार पश्चात प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने 27 पदों के विरुद्ध केवल 7 अभ्यर्थियों को ही योग्य पाया और उन्हें सम्बन्धित सुपर स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफ़ेसर पद के लिए नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेज दी, जिसकी पालना में राज्य सरकार के शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिसम्बर 2025 को नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया।

उक्त आदेश की पालना में याचिकाकर्ता के अलावा अन्य छह अभ्यर्थियों को तो ज्वॉइन करवा गया लेकिन सहायक प्रोफ़ेसर, पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी के एकल विज्ञापित पद पर चयनित याचिकाकर्ता का चयन होना विभाग के शासन संयुक्त सचिव को उचित नहीं लगा और पिछले 15 वर्षों से रिक्त पड़े सहायक प्रोफ़ेसर पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी पर याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश को, बिना किसी उचित कारण का उल्लेख किए, निरस्त करने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया, जिसे लेकर रिट याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता खिलेरी ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में केवल चार ही पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स किया हुआ याचिकाकर्ता ही एक मात्र सेवारत अभ्यर्थी है। याचिकाकर्ता की ओर से न्यूज़ पेपर में छपे ख़बर की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि राजधानी जयपुर में बच्चों के सबसे बड़े राजकीय जेके लोन अस्पताल में बच्चों की आंतों की बीमारी का इलाज लिवर के डॉक्टर के भरोसे चल रहा है और 15 साल से पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी में सहायक प्रोफ़ेसर (सुपर स्पेशियलिटी) पद ख़ाली पड़ा है। अन्य विभागों में याचिकाकर्ता के साथ नियुक्त हुए अन्य सुपर स्पेशियलिटी के सहायक प्रोफ़ेसर को तो ज्वॉइन करवा दिया गया लेकिन याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव वाला बर्ताव किया गया है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई करने एवं रिकॉर्ड का अनुशीलन करने और अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफ़ेसर (सुपर स्पेशियलिटी) पद पर याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को अविलम्ब ड्यूटी ज्वॉइन करवाने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने देने के आदेश देते हुए राज्य सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग सचिव सहित अन्य को जवाब तलब किया। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा

लूणकरणसर, (निसं)। न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार वर्मा ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त को ब्याज सहित दोगुनी राशि चुकाने के साथ दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार परिवादी अशोक कुमार ने अभियुक्त चैनरूप सिंह के खिलाफ परिवाद दायर किया था। परिवाद में बताया गया कि चैनरूप सिंह ने अशोक कुमार से 2 लाख 10 हजार रुपए उधार लिए थे। इसके एवज में उसने अपने बैंक खाते का एक चेक दिया था। जब परिवादी ने यह चेक बैंक में जमा किया, तो वह अपर्याप्त भुगतान के कारण बाउंस हो गया। इस पर अशोक कुमार ने चैनरूप सिंह से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त चैनरूप सिंह को दो साल के साधारण कारावास के साथ 4 लाख 20 हजार रुपए (ब्याज सहित) चुकाने का आदेश दिया। इस मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट ईश्वरलाल भादू ने पैरवी की, जबकि अभियुक्त की ओर से एडवोकेट मनोज जाखड़ ने अपना पक्ष रखा।